न्यायालय कलेक्टर जिला अलीराजपुर (म.प्र)

669 / रीडर / 2014 अलीराजपुर दिनांक 17-11-2014

प्रकरण कमांक 01 / बी–121 / 2014–15

कुल 25

25

: आदेश ::

(आज दिनांक 17 / 11 / 2014 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 08.11.2014 को ग्राम गड़ात तहसील अलीराजपुर मे सडक दुर्घटना मे कारला पिता गबला जाति निवासी ग्राम सोण्डवा की मृत्यू हो गई थी । जिसमें उसके वैध वारिश उसकी पत्नि श्रीमति शर्मिला पति स्व. कारला निवासी ग्राम सोण्डवा को आर्थिक अनुदान राशि रूपये 10,000 / – (दस हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के अभिमत से सहमत होकर मृतक के वारिश वैध वारिश में उसकी पत्नि श्रीमति शर्मिला पति स्व. कारला निवासी ग्राम सोण्डवा को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक / एफ–20–21 / 2007 / 1 / 4 भोपाल, दिनाक 25 / 02 / 2009 में निहित प्रावधान अनुसार आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 10,000 / – (दस हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या –01–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क / 670 / रीडर / 2014 अलीराजपुर दिनांक 17-11-2014

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर ।
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
5 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।
6 संबंधित श्रीमति श्रीमति शर्मिला पति स्व. कारला निवासी ग्राम सोण्डवा जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर